

28/7/22 पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी
अवकाश पर है/दौरे पर है/दीगर
राज कार्यों में व्यस्त है/.....
अतः पत्रावली दिनांक 17/8/22
को पेश हो।

17/8/22 पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी
अवकाश पर है/दौरे पर है/दीगर
राज कार्यों में व्यस्त है/.....
अतः पत्रावली दिनांक 13/9/22
को पेश हो।

13/9/22 पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी
अवकाश पर है/दौरे पर है/दीगर
राज कार्यों में व्यस्त है/.....
अतः पत्रावली दिनांक 14/10/22
को पेश हो।


14/10/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अपिक्का
उपरोक्त अपिक्का संख्या 1 अपिक्का समय
द्वे उपरोक्त प्रार्थी की ओर से माननीय उच्च
न्यायालय में फैसल S.B Civil Writ
Petition No 7245/2010 का आदेश
दिनांक 12/10/2022 प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या
65/2004 को शीघ्र निष्कारण करने के
निर्देश के साथ S.B Civil Writ Petition के
अंतर्गत आदेश दिनांक 11/8/2010 को मूल
वाद के फैसल होने तक जारी रखने के
आदेश पारित किए हैं। आदेश दिनांक
11/8/2010 में "Status quo as is"


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

existing today shall be maintained
with regard to ^{निक} the land in question."

अतः उपरोक्त आदेश अनुमार मूल वाद के
निस्तारण तक यथास्थिति के आदेश माननीय
उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं। उपरोक्त
आदेश अनवली अस्थायी निषेधाज्ञा की पत्रावली
में शामिल किया गया। व उक्त आदेश के
आधार पर अनवली पत्रावली को चलाने
की आवश्यकता नहीं रह जाती। 88 Civil
Writ Petition No. 7245/2010 के आदेश
दिनांक 11/8/2010 व 12/10/2022 अनुसार
पत्रावली निर्णित की जाकर फेकल की
जाती है। पत्रावली बत्थी मूल पत्रावली
है। पुनश्च: आदेश दिनांक 12/10/2022
के तहत Writ Petition के Resp. 10 व 11 को
उनकी याचिका के समबन्ध में अनुमति प्रदान
की गई है। अतः 88 Civil Writ Petition
No. 7245/2010 के आदेश दिनांक 11/8/2010
व 12/10/2022 को उक्त आदेशिका का
अंग शुमार माना जाकर पत्रावली निर्णित
की जाती है।




सहायक न्यायाधीश एवं
उपस्थान्त आचार्य
जोधपुर (दक्षिण)